निर्णय व इजलास (मध्यस्थ) डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

1. प्रकरण संख्या 64/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण योजना क्रियान्वयन इकाई टोंक जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सी. एस. पारीक परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन. एच. 12 पी. आई. यू. टोंक राजस्थान।

प्रार्थी

2. प्रकरण संख्या 27/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र स्व. श्री नाथूलाल शर्मा निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
(मृतक दौराने सुनवाई)

प्रार्थी

3. प्रकरण संख्या 28/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

राम सहाय पुत्र स्व. श्री श्रवण निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (मृतक)

1/1. हनुमान सहाय पुत्र स्व.श्री राम सहाय

1/2. कालूराम पुत्र स्व.श्री राम सहाय

1/3. मुकेश पुत्र स्व.श्री राम सहाय

निवासी बीलवा बुजुर्ग, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

4. प्रकरण संख्या 29/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

जगदीश पुत्र श्री गंगाराम निवासी बीलवा,, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

5. प्रकरण संख्या 30/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

1. छीतर शर्मा पुत्र स्व. श्री लाल चन्द शर्मा
2. केसर मल शर्मा स्व. श्री लाल चन्द शर्मा
   निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

6. प्रकरण संख्या 31/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

1 जगदीश शर्मा पुत्र स्व. श्री राम सहाय शर्मा
2 शंकर लाल शर्मा स्व. श्री राम सहाय शर्मा
निवासी बीलवा , तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

7. प्रकरण संख्या 32/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

श्रीमती सोनी देवी पत्नी स्व. श्री भंवर लाल निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

8. प्रकरण संख्या 33/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

श्री रोशन लाल शर्मा पुत्र श्री गुलाब चन्द शर्मा निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

9. प्रकरण संख्या 34/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

1. श्रवण कुमार पुत्र स्व॰ श्री राम सहाय शर्मा
2. मदन लाल पुत्र स्व॰ श्री राम सहाय शर्मा
   निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

10. प्रकरण संख्या 35/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

1. श्रवण लाल पुत्र स्व॰ श्री राम सहाय शर्मा
2. मदन लाल पुत्र स्व॰ श्री राम सहाय शर्मा
   निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

11. प्रकरण संख्या 36/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व॰ श्री राम किशोर शर्मा निवासी बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

12. प्रकरण संख्या 37/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व॰ श्री नाथूराम निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

13. प्रकरण संख्या 38/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

1. बद्रीनारायण पुत्र स्व॰ श्री गोदूराम शर्मा (मृतक)
   1/1.शंकर पुत्र स्व॰ श्री बद्रीनारायण
   1/2 रामचन्द्र पुत्र स्व॰ श्री बद्रीनारायण
   1/3 दामोदर पुत्र स्व॰ श्री बद्रीनारायण
2. रामानन्द शर्मा पुत्र स्व॰ श्री गोदूराम शर्मा
   निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

कलक्टर जयपुर जिला

प्रार्थीगण

14. प्रकरण संख्या 39/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

1. भौरीलाल शर्मा पुत्र स्व॰ श्री रूपनारायण शर्मा
2. बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व॰ श्री रूपनारायण शर्मा
   निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

15. प्रकरण संख्या 40/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

जगदीश पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

16. प्रकरण संख्या 41/2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

प्रभू नारायण शर्मा पुत्र श्री गुलाब चन्द शर्मा निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। (मृतक)
1/1 सुरेश पुत्र स्व॰ श्री प्रभू नारायण
1/2. महेश पुत्र स्व॰ श्री प्रभू नारायण

प्रार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

17. प्रकरण संख्या 45 / 2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

18. प्रकरण संख्या 66 / 2025 (आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र)

जगनाथ शर्मा पुत्र श्री कालूलाल शर्मा निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जी–5 एवं 6 सेक्टर 10, द्वरिका, नई, दिल्ली जरिये प्राधिकृत अधिकारी।
2. परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण–3, भगवत निवास, मालवीय नगर, सवाई माधोपुर रोड, (टोंक) राजस्थान।
3. अतिरिक्त कलक्टर, तृतीय, जयपुर एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,अधिकारी एन॰एच॰12
4. पुरूषोत्तम दास पुत्र स्व॰ श्री भागीरथ (मृतक दौराने सुनवाई)
5. राधेश्याम पुत्र श्री पुरुषोत्तम

   जातियान महाजन, निवासी बीलवा बुजुर्ग, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(G)5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्व सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अवार्ड राजस्व ग्राम बीलवा बुजुर्ग तहसील सांगानेर के साबिक खसरा नम्बर 759 हाल खसरा नम्बर 1184 रकबा 14 बिस्वा में से अवाप्त की गई भूमि 700 वर्गमीटर आदेश दिनांक 13.04.2011

(जिला कलक्टर, जयपुर जिला, जयपुर)

उपस्थित :-

1. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह अधिवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
3. श्री नरेन्द्र मेवाडा अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 18.02.2025**

1. संक्षेप में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर–टोंक–देवली के चार / छः लेनीकरण हेतु भूमि अवाप्त करने वास्ते धारा 3 (ए) की अधिसूचना दिनांक 23.07.2009 को जारी की गई, जिसके परिपेक्ष्य में जो आपत्तियां प्राप्त हुई उनका धारा 3 (सी) के तहत सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निस्तारण कर दिया गया। केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3 (ए) की अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1184 वाके ग्राम बीलवा बुजुर्ग तहसील सांगानेर की राजस्व रिकार्ड में किस्म जाव–1, अंकित थी। खातेदार पुरुषोत्तम दास एवं राधेश्याम के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। जिसकी 3 (डी) की अधिसूचना दिनांक 30.10.2009 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लमंगों से मुक्त होकर अत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1184 की किस्म जाव–1, अंकित थी। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाव 1 किस्म की भूमि अवाप्त रकबा

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

700 वर्गमीटर में से 309 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यक दर 12,500/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अवार्ड आदेश दिनांक 13.04.2011 पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर था। धारा 3 (डी) अधिसूचना के बाद सक्षम प्राधिकारी को भूमि की किस्म के विरूद्व जाकर अवार्ड आदेश पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्टतया विरूद्व है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 (ए) की अधिसूचना दिनांक 23.07.2009 एवं 3 (डी) की अधिसूचना दिनाक 30.10.2009 में वादग्रस्त आराजी की किस्म जाव–1, दर्शायी है। उक्त दोनों अधिसूचनायें राजस्व रिकार्ड पर आधारित है, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का वह भाग जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने आराजी खसरा नम्बर 1184 के अधिग्रहित रकवा 700 वर्गमीटर भूमि में से 309 वर्ग मीटर भूमि जो कि जाव–1 का वाणिज्यिक दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः धारा 3 (जी) 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के पक्ष में पारित अवार्ड दिनांक 13.04.2011 को निरस्त फरमावें तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार धारा 3 (ए) की अधिसूचना 23.07.2009 को भूमि की किस्म जाव–1, के आधार पर अवार्ड आदेश पारित कर मुआवजा राशि निर्धारित करने के आदेश फरमावे।

2. आबीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पुरूषोत्तम दास व राधेश्याम अनुपस्थित है। प्रकरण संख्या (पुराना 85/2012 व 70/2023) (नया 64/2025) में भौरीलाल, बाबूलाल, जगदीश, सरस्वती देवी, राम सहाय, बद्रीनारायण, रामानन्द, जगदीश, शंकर, श्रवण लाल, मदन लाल, छीतरमल केसरमल, जगन्नाथ, शंकरलाल, प्रभू नारायण, रोशन लाल, सोनी देवी, जगदीश, नाथी देवी ने बाबत पक्षकार बनाये जाने प्रार्थना पत्र पेश किया तथा पृथक–पृथक आबीट्रेशन प्रार्थना पत्र भी धारा 3 (जी) 5 के तहत पेश किये है। तहत रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. उभय पक्ष अधिवक्ता का कथन है कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 13.04.2011 को पारित अवार्ड के विरूद्ध ही ये सभी प्रार्थना पत्र पेश किये गये है। अतः सभी प्रकरणों को संकलित कर सामूहिक बहस सुनी जावे। उभय पक्ष अधिवक्ता के अनुरोध पर सभी प्रकरणों में सामूहिक बहस सुनी गई। चूंकि प्रकरण संख्या 64/2025 में जिन प्रार्थीगण ने आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पेश किये गये है, उनके द्वारा पृथक–पृथक आबीट्रेशन प्रार्थना पत्र धारा 3 (G) 5 के तहत भी पेश किये गये है इसलिए सभी प्रकरणों को संकलित कर निर्णय पारित किया जा रहा है। अतः प्रकरण संख्या 64/2025 में अप्रार्थीगण का बाबत पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नही है।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रकरण संख्या 65/2025 व उनवानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा ने आबीट्रेशन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि धारा 3 (ए) की अधिसूचना दिनांक 23.07.2009 को जारी की गई जिसके परिपेक्ष्य में जो आपत्तियां प्राप्त हुई उनका धारा 3 (सी) के तहत सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निस्तारण कर दिया गया। केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3 (ए) की अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1184 वाके ग्राम बीलवा बुजुर्ग तहसील सांगानेर की प्रकृति जाव–1, अंकित थी। अप्रार्थी 2 व 3 के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। जिसकी 3 (डी) की अधिसूचना दिनांक 30.10.2009 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लमंगों से मुक्त हो कर अत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1184 की प्रकृति जाव–1, अंकित थी। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाव 1 किस्म की भूमि अवाप्त रकबा 700 वर्गमीटर में से 309 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यक दर 12,500/–रूपये प्रति वर्गमीटर की दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश एवं सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर था। धारा 3 (डी) की अधिसूचना के बाद सक्षम प्राधिकारी को भूमि की प्रकृति के विरूद्व जाकर अवार्ड आदेश पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्टतया विरूद्ध है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 (ए) की अधिसूचना दिनांक 23.07.2009 एवं 3 (डी) की अधिसूचना दिनाक 30.10.2009 में वादग्रस्त आराजी की किस्म जाव–1 दर्शायी है। उक्त दोनों अधिसूचनायें राजस्व रिकार्ड पर आधारित है, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड का वह भाग जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने आराजी खसरा नम्बर 1184 के अधिग्रहित रकबा 700 वर्गमीटर भूमि में से 309 वर्ग मीटर भूमि जो कि जाव–1 का वाणिज्यिक दर के आधार पर अवार्ड आदेश पारित किया है, वह निरस्तनीय है। अतः आदेश दिनांक 13.04.2011 को निरस्त फरमावें।

6. अधिवक्ता श्री कौशलेन्द्र सिंह ने दलील पेश की कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जी) (7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सड़क सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डी.एल.सी. दर, आसपास की भूमि का बाजार भाव, राजस्थान सरकार की बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट, भावी संभावनाओं, हितधारी के सुखाधिकार को देखते हुए मुआवजा निर्धारण किया गया है। अवाप्त शुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिडॅयूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया धारा 3 एच (1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया गया है। प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम प्रतिस्थापित नहीं था। अवाप्तिधीन विवादित भूमि राजस्व

जिला कलक्टर
जयपुर

रिकार्ड में काश्तकार श्री पुरूषोत्तम दास व राधेश्याम के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसलिए मुआवजा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार पुरूषोत्तम दास व राधेश्याम के नाम से जारी किया गया जो सही है। चूंकि अवाप्तिधीन भूमि का टाईटल प्रार्थी के नाम नहीं है। भूमि का टाईटल तय किया जाने का क्षेत्राधिकार माननीय मध्यस्थ को नहीं होकर मान्य सिविल न्यायालय को है। अतः आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

7. आदेश 01 नियम 10 सी पी सी बाबत पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार मेवाडा द्वारा लिखित बहस पेश करते हुए दलील दी, कि वादग्रस्त भूमि के खाताधारक पुरूषोत्तम दास एवं राधेश्याम शर्मा है, जिनसे आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ताओं ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों से दुकानें क्रय की है। खाताधारकों द्वारा क्रेताओं के पक्ष में मुआवजा दिये जाने की सहमति दी है। इसलिए प्रार्थीगण को भी उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया जावे तथा अवार्ड की राशि का भुगतान प्रार्थीगण को दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

8. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

9. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 के लिए अवाप्तिधीन भूमि राजस्व ग्राम बीलवा बुजुर्ग तहसील सांगानेर के पूर्ववर्ती खसरा नम्बर 759 हाल खसरा नम्बर 1184 में से रकबा 700 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है। जिसमें से 391 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि एवं 309 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यक दर से अवार्ड पारित किया गया है। अवाप्त भूमि की किस्म जाव–1 अप्रार्थी श्री पुरूषोत्तम दास पुत्र भागीरथ एवं अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र पुरूषोत्तम जाति महाजन निवासी जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड खातेदार काश्तकार अप्रार्थी पुरूषोत्तम दास एवं राधेश्याम के नाम से जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिवक्ता ने दिनांक 25.03.2011 को 309 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक दर से अवार्ड पारित किये जाने पर आपत्ति की है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन एच 12, अतिरिक्त कलक्टर तृतीय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया है कि राजस्व ग्राम बीलवा बुजुर्ग तहसील सांगानेर की अवाप्तिधीन भूमि खसरा नम्बर 759 हाल खसरा नम्बर 1184 में से 370 वर्गगज अर्थात 309 वर्गमीटर भूमि जिलाधीश जयपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/10बी/64/74/4722 दिनांक 23.05.1979 से विधिवत रूप से आवासीय एवं वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गई है। राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि ही अंकित चली आ रही थी। राजस्व रिकार्ड में अपडेशन या अंकन किये जाने का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी तहसीलदार का होता है। इसमें खातेदारान की कोई त्रुटि नहीं रही है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13.04.2011 को जारी अवार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

13.04.2011 को यथावत रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या (पुराना 85/2012 व 70/2023) (नया 64/2025) को खारिज किया जाता है। शेष प्रकरणों में अवाप्तिधीन भूमि का टाईटल संबंधी विवाद सामने नहीं आया है खातेदार पुरूषोत्तम दास पुत्र भागीरथ एवं राधेश्याम पुत्र पुरूषोत्तम दास जाति महाजन द्वारा जिला कलक्टर जयपुर से दिनांक 23.05.1979 को भूमि 309 वर्गमीटर आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करा कर क्रेतागणों को दुकानों का विक्रय कर दिये जाने से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा क्रेता दुकानदारों को दिये जाने का सहमति पत्र जारी किया गया है, जो प्रकरण संख्या 85/2012 पर उपलब्ध है। छोटे रकबे के विक्रय पत्रों का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया जाता है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का धारा 3 (G) 5 के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलटर तृतीय जयपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी क्रेतागणों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर पारित अवार्ड दिनांक 13.04.2011 की राशि का भुगतान धारा 3 (ए) की अधिसूचना दिनांक 23.07.2009 से पूर्व पंजीकृत विकय पत्रों (Sale Deed) के आधार पर नियमानुसार किया जावे।

निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक **18.02.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner